JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के संवर्धन में शिक्षकों की भूमिका

पाठक आशीष[1], सिंह धर्मवीर[2]

[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, शहीद मंगल पांडे डिग्री कॉलेज, मेरठ
[2] रिसर्च स्कोलर, शिक्षा शास्त्र, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सारांश

इस संसार में सबसे बड़ी सेवा मनुष्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को शिक्षित करना है। शिक्षा में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये एक शिक्षक एक अच्छे समाज व राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। शिक्षक की भूमिका के आधार पर ही एक राष्ट्र की सफलताओं व ऊँचाइयों को मापा जा सकता है। एक शिक्षक के बिना विद्यालय, समाज व राष्ट्र ऐसे है जैसे आत्मा के बिना शरीर होता है। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए सामान्य व विशिष्ट शिक्षक को मिलकर सामान्य बालकों व विशिष्ट बालकों में समन्वय की भावना विकसित करने के लिये कड़ी का कार्य करना पड़ता है। इस अनुसंधान में यू डी आई एस ई. के आंकडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं दिव्यांग छात्रों की विद्यालयी शिक्षा के स्तर के आधार पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के आंकडें दिये गये है। इन आंकडों के अनुसार भी हमें अभी भी समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुधार की आवश्यकता है। प्राचीन कालीन व मध्यकालीन शिक्षा में कहीं भी समावेशी शिक्षा पर ध्यान नही दिया गया परन्तु आधुनिक काल में भी समावेशी शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त होता नजर नही आ रहा है। यदि देखा जाये तो 6 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक के करोड़ों बच्चें अभी भी विद्यालयों मे नही जा रहे है। जो अति आश्चर्य जनक है और इन तथ्यों के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि समाज में रहने वाले शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चें आधारभूत शैक्षिक सुविधाओं से अभी भी वंचित है। समावेशी शिक्षा के उत्थान के लिये सरकार द्वारा अनेकों योजनाऐं एवं नितियाँ चलायी जा रही है जिनकों लागु करने के लिए शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जिसके फलस्वरूप शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पिछडें बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जा सके। यदि समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो प्रत्येक शिक्षक को समता और समानता के साथ शिक्षा प्रदान करनी होगी।

विशिष्ट शब्दः समावेशी शिक्षा, माध्यमिक स्तर, शिक्षक भूमिका, समता, समानता आदि।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका संबंध मनुष्य की ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, संवेगात्मक, नैतिक, सांस्कृतिक, सौन्दर्यात्मक एवं सामाजिकता के गुणों के उन्नयन से है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रूचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है और उसके विचार तथा व्यवहार में ऐसा परिवर्तन करती है, जो स्वयं उसके अपने तथा समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व के लिये हितकर होता है। शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। भारत अथवा संसार में समय एवं समाज के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते रहे हैं। जहाँ वैदिककाल में शिक्षा के उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति, नैतिक एवं चरित्र का निर्माण करना, पवित्रता तथा धार्मिकता, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना, आदर्शवादिता, स्वानुशासन, धर्म को अधिक महत्व और संस्कृत भाषा में शिक्षा आदि थे। मध्यकाल के अर्न्तगत बौद्धकाल में शिक्षा के उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार, सत्य, अहिंसा, मोक्ष प्राप्ति, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, पालि भाषा, जीवन के लिए तैयारी, लौकिक एवं दैहिक सुखों का त्याग, दिव्य मानवता की प्राप्ति आदि थे। इस्लामी शिक्षा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य अरबी और फारसी का प्रचार, राज्यव्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्ध संचालन, इस्लामी धर्म का प्रचार, इस्लामी ज्ञान व मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, धन, यश के साथ ऊँचें ओहदे पाना, सांसारिक सुख की प्राप्ति व राजनीतिक शिक्षा आदि थे। आजादी से पहले आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य अंग्रेजी या विदेशी शिक्षा का प्रचार और प्रसार, ईसाई धर्म का प्रसार आदि थे। परन्तु आजादी के बाद आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ–साथ समाज के उपेक्षित वर्ग को भी शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा व मातृभाषा में शिक्षा आदि रहें हैं। आधुनिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में तकनीकी को अपनाना, अनुसंधान, नवाचार, रचनात्मकता, बहुआयामी प्रतिभा जागृत करना, आत्मनिर्भरता, विश्लेषणात्मक तार्किक शिक्षा, उच्च शिक्षा में मल्टी एंट्री एवं एग्जिट व्यवस्था बनाना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना आदि पर विशेष जोर दिया जा रहा हैं।

उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि सभी कालों की शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाए तो प्राचीन काल में कहीं भी सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने पर जोर नहीं दिया गया है। कहीं न कहीं नारी, दिव्यांगों एवं पिछडें तबके को नजरअंदाज किया गया है। आधुनिक काल को छोडकर किसी भी काल में सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान नही की गयी है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ–साथ समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। **विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके एक ही कक्षा में सभी को एक समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है**। समावेशी शिक्षा के अर्न्तगत सामान्य छात्रों, किसी भी रूप से पिछडें छात्रों और दिव्यांग छात्रों को एक ही कक्षा में बिना किसी भेद–भाव के सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाते है, जिससे कि पिछडों एवं विकलांगों बालकों को भी शिक्षा तथा समाज की मुख्य धारा से जोडा जा सके। मानवीयता को ध्यान में रखते हुए सभी बालकों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षण संस्थाओं में किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित करने का अधिकार नहीं है। समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुडी है। इसमें मानकीकरण–सामान्यीकरण, संस्थारहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा तथा समावेश आदि को शामिल किया गया है। समावेशी शिक्षा समता और समानता दो बातों पर निर्भर करती है जिसमें समता के अर्न्तगत जिस बच्चे को जितनी आवश्यकता है उसे उतनी ही सहायता प्रदान किया जाती है और समानता के अर्न्तगत सभी बच्चों को एकसमान

रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा के अर्न्तगत सभी को शिक्षा का समान अवसर, शिक्षा का अधिकार, बालक के विभिन्न कौशलों की पहचान, शिक्षा के प्रति जागरूकता, बालक को असमर्थता से समर्थता की ओर ले जाना, आत्मसम्मान व आत्मविश्वास का विकास, शिक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण स्थापना, और बाधित व अशक्त बालकों की क्षमताओं व योग्यताओं का विकास आदि उद्देश्यों को ध्यान मे रखा जाता है। प्राचीन काल से ही गुरू को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है अपितु भारत में तो गुरू को ब्रहमा, विष्णु व महेश जैसे देवताओं का दर्जा दिया गया है। **यदि गुरू को देवता समान माना गया है तो गुरू की जिम्मेदारी भी बडी ही होगी।** शिक्षा को बढावा देने के लिए किसी भी देश की सरकार कोई भी नीतियाँ अथवा योजनायें लागू कर दें परन्तु जब तक शिक्षकों के द्वारा योजनाओं को कक्षा में सूचारू ढंग से लागु नही किया जाता सभी नीतियाँ अधूरी ही साबित होगी। नीतियों अथवा योजनाओं को लागू करने का दायित्व शिक्षकों को निभाना होगा तभी हमारी शिक्षा आगे बढेगी।

विश्वभर में समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा है। 1994 में सलामांका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 सरकारों और 25 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि ''प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएँ, रूचियाँ योग्यता और सीखने की आवश्यकतायें अनोखी होती है।'' भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा को बढावा देने के लिये विभिन्न योजनाओं को लागु किया, जिनमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, मिड–डे मील, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ;त्।डै।द्ध व सर्व शिक्षा अभियान आदि शामिल है। भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा को बढावा देने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा ;प्क्ब्द्ध 1974 ए निःशक्तता अधिनियम 1995, कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, एन.सी.एफ. 2005, माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा ;प्क्ब्द्ध 2009.10ए सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांग अधिनियम (सिपडा) 2016, स्वावलंबन योजना व दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 आदि योजनाओं को लागु किया है।

अक्सर यह देखा गया है कि किसी भी रूप से पिछडें एवं विशिष्ट बच्चों के प्रति माता–पिता व अभिभावकों की सोच भी सकारात्मक नहीं होती है; जिसके कारण वे अपने आपको समाज से कटा महसूस करते हैं और परिणाम स्वरूप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। आंकडों के अनुसार समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5 से 10 फीसदी है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को ही अपनी भूमिका निभानी होगी जिससे प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा–संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठ भूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। शिक्षक के द्वारा निःशक्त बच्चों के साथ समावेशी विद्यालयों में सहयोगी व्यवहार करना एवं सीखने के समान अवसर प्रदान किये जाना चाहिए। कोठारी आयोग के द्वारा भी कहा गया है कि एक दिव्यांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण में समंजन के लिए उसे तैयार करें। शिक्षकों को यह करना चाहिए कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का ही एक अभिन्न अंग हो अंतर केवल बच्चे को पढ़ाने की विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधनों में होना चाहिए न कि किसी भी प्रकार के बच्चों में। दिव्यांग बालक अपने आपको दूसरे बालकों की अपेक्षा कमजोर तथा हीन समझते हैं, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक बच्चों को सही निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करे तथा उनका आत्मविश्वास बढायें, ताकि ये बालक भी शिक्षकों से अभिप्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ सकें। समावेशी कक्षा में शिक्षकों के द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे कि बालकों के अन्दर सामाजिक, नैतिक गुणों, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास हो सके। बालक के द्वारा अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना

चित्र-शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया

तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। कुछ शिक्षक अक्सर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को तैयार नहीं पाते हैं अथवा यह भी हो सकता है कि उन्हें समावेशी शिक्षा के लिए पूर्णरूप से समर्थन और बुनियादी ढांचा नहीं मिल पाता। ऐसे स्थिति में वह शिक्षक पढ़ने वाले बच्चों की अलग–अलग ज़रूरतों का जवाब देने में कठिनाई महसूस करते हैं और इससे दिव्यांग बच्चे पढ़ाई की प्रक्रिया में खुद को और अलग–थलग पाते हैं जो एक गम्भीर स्थिति है। जॉन डी0वी0 ने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय बताया है जिसके एक कोण पर बालक, दूसरे कोण पर शिक्षक एवं तीसरे कोण पर पाठयक्रम को रखा गया है। समावेशी विद्यालय की कक्षाओं में शिक्षकों की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि उसे सामान्य बालकों के साथ–साथ विशेष आवश्यकताओं वाले दिव्यांग बालकों का भी ध्यान रखना होता है।

यू डी आई एस ई (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) के आंकडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं दिव्यांग छात्रों की स्कूली शिक्षा के स्तर के आधार पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2016–2017

स्तर	**प्राथमिक स्तर**	**उच्च माध्यमिक स्तर**
अनुसूचित जाति	19.6 :	17.3 :
अनुसूचित जन जाति	10.6 :	6.8 :
दिव्यांग	1.1 :	0.25 :

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से भारत में स्कुली शिक्षा पर यू डी आई एस ई (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) के आंकडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की स्कूली शिक्षा के स्तर के आधार पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2020–2021 और 2021–2022

स्तर	**वर्ष 2020–2021 में कुल नामांकन**	**वर्ष 2021–2022 में कुल नामांकन**
अनुसूचित जाति	4.78 करोड	4.83 करोड
अनुसूचित जन जाति	2.49 करोड	2.51 करोड
अन्य पिछडा वर्ग	11.35 करोड	11.49 करोड
विशेष आवश्यकता वाले बच्चें	21.91 लाख	22.67 लाख

वर्ष 2016– 2017 में उपरोक्त आँकडों के अनुसार प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में आते –आते छात्रों के नामांकन में गिरावट आ रही है जोकि अधिक गम्भीर है। उपरोक्त दिये गये आँकडें यह दर्शाते है कि समावेशी शिक्षा की स्थिति अभी ठीक नही है। परन्तु केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्राप्त वर्ष 2020–2021 व 2021–2022 के लिए भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा के स्तर पर यू डी आई एस ई (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) की रिपोर्ट जारी की गई है जो संतोष प्रदान करती है। यह रिपोर्ट दर्शा रही है कि शिक्षकों एवं सरकार के द्वारा समावेशी शिक्षा के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण कदम बढाया

जा रहा हैं। शिक्षा को प्रत्येक बच्चें तक पहुँचाने के लिए कदम बढाये जा रहें है जो संतोषजनक प्रतीत हो रहा है। परन्तु वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर समावेशी शिक्षा के संवर्धन हेतु हमें अधिक प्रयास की आवश्यता है जिसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए।

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य

- समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य व विशिष्ट बालकों की योग्यताओं एवं क्षमताओं का पता लगाकर उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।
- समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों के एक साथ, एक समान, एक ही छत के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते है जिससे उनमें सामाजिकता की भावना का विकास हो सके।
- समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के बालकों को असमर्थता से समर्थता की ओर ले जाने का सतत् प्रयास।
- समावेशी शिक्षा सामान्य व विशिष्ट सभी प्रकार के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास।
- समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा विशिष्ट बालकों में विभिन्न कौशलों की पहचान कर उनका विकास करना।
- समावेशी शिक्षा के द्वारा सभी बालकों को शिक्षित कर उसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढाना।
- समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बालक को उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षित कर उसे भावी जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाना।
- समावेशी शिक्षा किसी वर्ग या समूह विशेष को लिए नहीं है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी बालकों को एकसमान रूप शिक्षा प्रदान करना।
- समावेशी शिक्षा बालको की अक्षमताओं का पता लगाना और उसको दूर करने का प्रयास करना।
- समावेशी शिक्षा समाज में असमर्थ बच्चों के प्रति फैली भ्रान्तियों को दूर कर उनमें जागरूकता की भावना का विकास करना।
- समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रजातांत्रिक मूल्यों–न्याय, समानता एवं भ्रातृत्व आदि को प्राप्त करना।
- दिव्यांग जनों में आत्म–निर्भरता की भावना जाग्रति कर उन्हें जीवन में चुनौतियों का सामना के साथ उन्हें व्यावसायिक से जोड़ना।

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

- समावेशी शिक्षक अपनी कक्षा विशेष के छात्रों के प्रवेश तथा नियमित उपस्थिति, समय–सारणी, बैठक व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था, प्रगति पत्र (रिकॉर्ड), मूल्यांकन के रिकॉर्ड, पाठ्यसहगामी गतिविधियों के अतिरिक्त छात्र की वैयक्तिक, शैक्षिक समस्याओं के निराकरण आदि जिम्मेदारियों को निभाता है।
- समावेशी शिक्षक अपनी कक्षा में श्रवणबाधित, मंद दृष्टि, मंदबुद्धि व अस्थि बाधित आदि दिव्यांग बालकों की बैठक व्यवस्था पर ध्यान देता है तथा कक्षा में आधुनिक शिक्षोपकरणों तथा शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था करता है।

- समावेशी कक्षा में यदि कोई बालक नियमित रूप से अनुपस्थित रहता है अथवा स्कूल से भागता रहता है तो उसके कारणों की जांच–पड़ताल, बीमार या दुर्घटना ग्रस्त बालक को तुरंत उपचार हेतु भेजना आदि बातों की जिम्मेदारी शिक्षक निभाता है।
- शिक्षकों के द्वारा बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं, सृजनशील व कलात्मक रूचि की पहचान, मानसिक मापन मूल्यांकन, विशेष आवश्यकताओं तथा खूबियों की पहचान कर उन्हें सुविधाऐं उपलब्ध कराना है तथा आवश्यक पडनें पर पर चिकित्सक, अभिभावकों या स्रोत शिक्षक को प्रकरण संदर्भित करना।
- शिक्षक द्वारा बालक की वंशानुक्रम, पर्यावरण, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि की पहचान कर उनकी समस्या का समाधान करना तथा उन्हें प्रोत्साहन, प्रशंसा व मार्गदर्शन प्रदान करना।
- समावेशी कक्षा में शिक्षक द्वारा शिक्षण सहायक सामग्रियों, योजना विधि, क्रियात्मक शिक्षण, शिक्षक तकनीक, नवाचार व शिक्षण कौशलों आदि का उपयोग कर विशेष व सामान्य दोनों प्रकार के बालकों हेतु कक्षा अधिगम अनुभव उपयोगी बनाया जा सकता है।
- समावेशी शिक्षक दिव्यांग व सामान्य बालकों के अभिभावकों के संपर्क में रहकर उन्हें छात्र की समस्याओं, प्रगति, खामियों अथवा उपलब्धियों आदि से परिचित कराते रहना चाहिए।
- समावेशी शिक्षक अपनी कक्षा के सभी छात्रों को उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि, प्रतिभा आदि के अनुरूप भाषण, निबंध लेखन, कविता पाठ, खेल, वाद–विवाद, नाटक मंचन, शैक्षणिक यात्रा, सामुदायिक कार्य आदि पाठ्यसहगामी क्रियाओं में सहभागिता हेतु छात्रों को प्रोत्साहित कर सकता है। इससे बालकों का सर्वांगीण विकास होगा तथा उनके आत्मविश्वास व उत्साह में वृद्धि होगी।
- समावेशी शिक्षक स्कूलों में अध्ययनरत सामान्य व विशिष्ट बालकों का एकल अध्ययन (केस स्टडी) कर उनकी शारीरिक व मानसिक कठिनाइयों व कमियों का आंकलन करते है तथा क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा समस्या का समाधान करते है अथवा उपचार के लिए चिकित्सक के पास भेजते है।
- समावेशी शिक्षक बालकों को उनकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुकूल उपयुक्त व्यवसाय का चयन करने में उनकी सहायता करता है।
- समावेशी शिक्षक समावेशी स्कूलों में मॉनीटरिंग और सुपरविजन के द्वारा अध्ययनरत बालकों की समस्याओं की जानकारी लेकर उसे प्रधानाचार्य या स्कूल प्रशासन के ध्यान में लाकर उसके निराकरण का प्रयास करता है।
- समावेशी शिक्षक विशेष कक्षा का आयोजन करता है तथा बालकों की समस्याओं का समाधान करता है।

वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा की प्रासंगिकता

शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं के और दूसरों के बारे में जान सकता है। वर्तमान युग विज्ञान, तकनीकी, नवाचार तथा अनुसंधान आदि का युग है और यदि इस युग में भी कोई बच्चा अशिक्षित रह जाता है तो यह मानव जगत के लिए अति निंदनीय है। बच्चा चाहे किसी भी रूप से पिछडा हो यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है की उसे शिक्षित किया जायें और यह कार्य समावेशी शिक्षा के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। देश के प्रत्येक बच्चें को शिक्षित करने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी इस देश के शिक्षक, समाज, परिवार व प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक की है। वर्तमान

परिवेश में समावेशी शिक्षा के द्वारा ही विकास सम्भव है। वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। क्योकि प्रत्येक बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल हो या बाहर हो, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार व पहुँच होनी चाहिए। समवेशी शिक्षा के द्वारा ही सभी बच्चों को शिक्षा मिल रही है और आपसी सहयोग बढ रहा है। समावेशी शिक्षा से ही समाज के सभी बच्चें शिक्षित होगें और भेदभाव दूर होगा।

समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों के साथ–साथ उनके अभिभावकों को विद्यालयी गतिविधियों में शामिल करने की वकालत करती है। सही मायने में देखा जाये तो समावेशी शिक्षा सर्व शिक्षा जैसे शब्द का ही रूपांतरित रूप है। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देना है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य तो सभी वर्गों के बच्चों को शारीरिक, मानसिक सामाजिक, जातिगत, वर्गीय, आर्थिक एवं लैंगिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में एकसमान रूप में देखना है, जिससे लोकतांत्रिक रूप से बच्चे के समुचित समावेशन हेतु वातावरण दिया जा सके। शिक्षा समता, समानता एवं समावेशन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण औजार है। समावेशन में प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है एवं सीखने के तौर तरीकों में विविधता आती है। सीखने–सिखाने की प्रक्रिया विद्यालय में ही नहीं वरन् उचित वातावरण प्रदान करके विद्यालय के बाहर भी चलती रहती है । अतः हम कह सकते है कि सीखने की प्रक्रिया इस प्रकार संचालित की जानी चाहिए कि बच्चे में समझ की भावना का विकास हो न कि रटने की प्रवृति का। समावेशी शिक्षा में बच्चों को सिखाने से पहले बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य को समझना और उसके प्रति आदर रखना बहुत आवश्यक है। अतः हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाया जाए जहाँ बच्चों को भावी जीवन की तैयारी कराई जाए। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किये जाऐं और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे विशेषकर सामाजिक रूप से पिछड़े एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को इस क्षेत्र में सभी को ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सकें ।

निष्कर्षः

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में बाधक आधारभूत कारणों को दूर करके शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और दिव्यांगों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने का सफल प्रयास किया जा सकता है। अक्सर हमने देखा है कि विद्यालय की कक्षाओं में कुछ गिने चुने बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में प्रदर्शन के अवसर देते रहते हैं परन्तु कक्षा के अन्य बच्चे बार–बार उपेक्षित महसूस करते हैं। विद्यालय अथवा कक्षा में श्रेष्ठ एवं योग्य बच्चों के प्रशंशा करने में कोई बुराई भी नहीं दिखाई देती है, परन्तु प्रदर्शन करने के अवसर तो सभी बच्चों को समान रूप से मिलने चाहिए। अतः किसी भी रूप से उपेक्षित बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए और इन विशिष्ट क्षमताओं की तारीफ भी होनी चाहिए । यह बात सही है कि इन बच्चों को अपना काम पूरा करने एवं अपनी क्षमता दिखाने के लिए अतिरिक्त मदद या समय की जरूरत होगी । इसके लिए विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षकों को अपेक्षित धैर्य की आवश्यकता है। सशक्तिकरण, समावेशन का एक सिद्धांत है जिसके अनुरूप सभी अपवंचित वर्गों के बच्चों को समान अवसर प्रदान करके सशक्त बनाया जाऐं। शिक्षक, सरकार द्वारा चलायी गयी समावेशी शिक्षा से संबंधित सभी नीतियों एवं योजनाओं को धरातल पर उतारें। जिसके कारण सामान्य बालकों के साथ–साथ किसी भी रूप से पिछडें, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों में भी आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेगें।

समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक अपने सभी छात्रों को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाये ताकि सभी छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षक सदैव ही अपने छात्रों के पूर्ण विकास की कल्पना करे उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें तभी वह अपने छात्रों व समाज के साथ न्याय कर पायेगा और अपने देश का मान सम्मान ऊँचा कर सकेगा। यदि शिक्षक अपने इस कार्य में सफल होता है तो वह गुरू ब्रहमा, गुरू विष्णु, गुरू महेश जैसे शब्दों को चरित्रार्थ कर सकता है।

संदर्भ

- चतुर्वेदी शिखा, ''समावेशी विधालय का सृजन'' आर0 लाल पब्लिकेशन, मेरठ, पेज–29–32, 2016, आई0एस0बी0एन–978–81–933357–5–8
- शर्मा नमिता, तेवतिया पुनम, ''समावेशी विद्यालय का सृजन'' ठाकुर पब्लिकेशन, लखनऊ, पेज–29–32, 2017, आई0एस0बी0एन–978–93–86232–08–3
- भार्गव, राजश्री, (2016) समावेशी शिक्षा, राजश्री प्रकाशन आगरा, पृ.–117
- झा, मदनमोहन, 2005, समावेशी शिक्षा, दृष्टिकोण और प्रक्रियाएँ; प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, पृ.–25
- कोठारी आयोग, 1964–66, पृ.–123
- जोशी, प्रमोद, मार्च 2017, कुरूक्षेत्र, समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास
- ठाकुर, यतींद्र, 2016–17, समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, मेरठ, पृ.–163
- www.india.sarkar.bharat
- https://jaankarirakho.in
- https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/B6.pdf
- https://www.education.gov.in/hi/iedss-hindi